पत्रांक :- 5/वि.1-17/2015 ....427..../

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची- 834002

संकल्प

विषय :- **राज्य मे अवस्थित सम्बद्धता प्राप्त शास्त्री स्तर (स्नातक) एवं उपशास्त्री (इंटर) स्तर संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को भविष्य निधि–पेंशन-सह-उपादान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में ।**

झारखण्ड राज्य में तीन सम्बद्धता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय हैं। इनमें से संस्कृत हिन्दी विद्यापीठ, झारखण्ड धाम, गिरिडीह शास्त्री स्तर (स्नातक स्तर) का संस्कृत महाविद्यालय है, जबकि वैद्यनाथ कमल कुमारी संस्कृत महाविद्यालय, देवघर, उपशास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, डाल्टेनगंज उपशास्त्री (इन्टर) स्तर के महाविद्यालय हैं, जिसमें शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 37 वित्त सहित पद स्वीकृत हैं।

2. पूर्ववर्ती बिहार राज्य में संस्कृत महाविद्यालयों का नियंत्रण कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के अन्तर्गत थे। मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–252 दिनांक–27.08.2001 द्वारा राज्य गठन के उपरांत अविभाजित बिहार राज्य में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा से सम्बद्ध सभी संस्कृत महाविद्यालयों का संबंधन एवं सभी कार्य सम्पादित करने की शक्तियाँ विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को सौंपी गई है।

3. राज्य के शास्त्री (स्नातक) स्तरीय एवं उपशास्त्री (इन्टर) स्तर के सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की भांति भविष्य निधि – पेंशन- सह - उपादान के लाभ की मांग लंबे समय से की जा रही है । सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के मांग पर विचारार्थ प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा बिहार राज्य में अवस्थित सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों एवं उपशास्त्री महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के समान झारखण्ड राज्य में अवस्थित सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों एवं उपशास्त्री महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतनमान की स्वीकृति प्रदान करने का परामर्श दिया गया है। इस संदर्भ में संबधित सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को अंगीभूत महाविद्यालयों की भांति पेंशन एवं ग्रेच्यूटी देने की अनुशंसा विभागीय समिति द्वारा की गयी है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शास्त्री (स्नातक) स्तरीय एवं उपशास्त्री (इन्टर) स्तर के सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को भविष्य निधि–पेंशन-सह-उपादान का लाभ निम्नांकित शर्तों एवं बंधेजों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

(i) यह लाभ स्वीकृत पद पर विधिवत रूप से नियुक्त तथा कार्यरत केवल वैसे शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को अनुमान्य होगा जिनके वेतनादि के मद का घाटानुदान राज्य सरकार वहन करती है ।

(ii) यह लाभ उन्हीं शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को अनुमान्य होगा, जिनकी नियुक्ति दिनांक–01.12.2004 के पूर्व एवं सेवानिवृति दिनांक–15.11.2000 के पश्चात् हुई हो। दिनांक–01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी अंशदायी पेंशन योजना, 2004 के प्रावधानों से शासित होंगे।

उल्लेखनीय है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या–518 दिनांक–09.12.2004 के द्वारा राज्य के कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी थी। इस क्रम में विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना विभागीय संकल्प संख्या–1186 दिनांक–10.06.2019 के द्वारा लागू की गयी है। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वित्त विभाग के द्वारा नयी

R.Rau Akhef

अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर दिनांक–01.09.2022 की तिथि से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संबंध में संकल्प संख्या–143 दिनांक–05.09.2022 के द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है।

उक्त दिशा–निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। यह लाभ सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी अनुमान्य होगा।

(iii) यह लाभ केवल वैसे सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों तक सीमित रहेगा जिनमें 10 वर्ष पूर्व तक प्रतिवर्ष औसतन 60 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों ।

(iv) यह लाभ वैसे सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों को प्राप्त होगा, जो अंगीभूत महाविद्यालयों में लागू प्रावधान को लागू करेंगे।

5. प्रस्ताव पर दिनांक-29.02.2024 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या-01 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

7.3.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 5/वि.1-17/2015 427 / राँची, दिनांक- 12/03/2024

प्रतिलिपिः-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

7.3.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 5/वि.1-17/2015 427 / राँची, दिनांक- 12/03/2024

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.3.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 5/वि.1-17/2015 427 / राँची, दिनांक- 12/03/2024

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, विधि विभाग/सचिव, वित्त विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ई० गवर्नेंस कोषांग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/ बिनोद बिहारी महतो कोयलंचल विश्वविद्यालय, धनबाद/जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर/ डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची/ झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.3.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

R.2041